

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आर बी ई सं. 100

सं. ई (जी)2006 क्यू आर 1-14

रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक : 19.07.2010  
Rail Bhavan, New Delhi, Dated

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

परिशिष्ट

विषय : रेल दर अधिकरण में सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति के मामले में रेलवे क्वार्टर रखना.

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 20.11.2006 का पत्र सं.ई (जी)2006 क्यू आर 1-14 (बी).

रेल दर अधिकरण में सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति के मामले में अधिकारियों को रेलवे क्वार्टर रखने की अनुमति देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी किए गए मूल अनुदेशों की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि रेल दर अधिकरण को उक्त अनुदेशों की परिधि में शामिल किया जाए ।

बोर्ड के दिनांक 20.11.2006 के उपर्युक्त पत्र द्वारा दी गई छूट रेल दर अधिकरण में पुनर्नियुक्ति के मामले में संपूर्णतः लागू होगी । मूल पत्र में जहाँ कहीं "आर सी टी" उल्लिखित हो, उसके साथ संक्षेप "आर आर टी" भी पढ़ा जाए ।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

कृपया पावती दें ।

मदन लाल  
(मदन लाल)

संयुक्त निदेशक, स्था (सा.)  
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (जी)2006 क्यू आर 1-14

नई दिल्ली, दिनांक : 19.07.2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. संयुक्त निदेशक (वित्त) अ.अ.मा.संगठन, लखनऊ.
3. महासचिव, आई आर सी ए, नई दिल्ली.
4. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
5. निदेशक, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान/पुणे, भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान/नासिक, भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान/जमालपुर, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान/सिकंदराबाद

मदन लाल  
(मदन लाल)

संयुक्त निदेशक, स्था (सा.)  
रेलवे बोर्ड.

GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)  
MINISTRY OF RAILWAYS (Ministry of Railways)  
RAILWAY BOARD

RBE No. 100

NO:E(G)2006 QR 1-14

NewDelhi, Dated: 19-07-2010

The General Managers,  
All Indian Railways &  
Production Units.

**ADDENDUM**

**Sub: Retention of Railway accommodation in the event of post retirement engagement in RRT**

**Ref:-Board's letter No.E(G)2006 QRI-14(B) dated 20-11-2006.**

Following receipt of representation in regard to permission for retention of accommodation to officers in the event of their post retirement engagement in **RRT** the original instructions issued vide Board's above referred letter has been reviewed and it has been decided to include RRT in the ambit of the said instructions.

The relaxation granted vide Board's letter dated 20-11-2006 referred to above be *in toto* applicable in case of re-engagement to **RRT**. The abbreviation "**RRT**" may also be read along with "**RCT**" wherever mentioned in the original letter.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

  
(MADAN LAL)


Joint Director Estt. (Genl.)  
Railway Board.

NO: E(G) 2006 QR1-14

New Delhi, Dated: 19-07-2010

Copy forwarded to:

1. FA & CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. General Secretary, IRCA, New Delhi.
4. Director General, Railway Staff College, Vadodara.
5. The Director, IRICE/Pune, IRIEEN/Nasik, IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.

  
(MADAN LAL)

Joint Director Estt. (Genl.)  
Railway Board.